भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4207

उत्तर देने की तारीख : 18.07.2019

एमएसएमई क्षेत्र को संरक्षण

4207. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री राहुल रमेश शेवलेः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चीन से सस्ते आयात ने देश में घरेलू, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ध्वस्त कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या विमुद्रीकरण ने भी देश में एमएसएमई क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बचाने हेतु एशियाई देशों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए उपायों का अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राष्ट्र-वार परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में एमएसएमई क्षेत्र को बचाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) भारत में किसी वस्तु के बड़ी मात्रा में और ऐसी स्थिति में आयात पर, जिससे भारतीय घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति पहुंचती हो अथवा क्षति पहुंचने का खतरा हो, समय-समय पर यथा आवश्यक डंपिंग-रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क लगाने के समुचित उपाय किए जाते हैं।

(ख): विमुद्रीकरण के प्रभावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित प्रारम्भिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अनुसार इसके प्रतिकूल प्रभाव अस्थायी थे।

(ग) और (घ): अन्य एशियाई देशों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में एमएसएमई को संरक्षित करने के लिए किए गए उपायों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर), क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी-प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम –क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), खरीद एवं विपणन योजना (पीएमएस) इत्यादि शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) भी समेकित सहयोगात्मक सेवाएं प्रदान कर, जिनमें विपणन, वित्तयन, प्रौद्योगिकी एवं अन्य सेवाएं शामिल हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों उद्यमों को बढ़ावा देता है और सहयोग प्रदान करता है।

*****